न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 169/2014

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
सोहनलाल पुत्र गोपीकिशन उर्फ गोपीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गवालू तहसील मूण्डवा जिला नागौर।		1. भंवरलाल पुत्र गोपीकिशन उर्फ गोपीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गवालू तहसील मूण्डवा जिला नागौर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मूण्डवा।

दावा रेकर्ड दुरुस्ती बाबत धारा 136 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 15.05.2017

वादी की ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी के पुश्तैनी खेताय मौजा ग्वालू मे खसरा नं. 62 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 303 रकबा 3.17 बीघा ख.न. 900 रकबा 7.08 बीघा, ख.न. 1564/901 रकबा 1.03 बीघा व ख.न. 1565/124 रकबा 2.04 बीघा कुल रकबा 32.05 बीघा स्थित है।

यह है कि वादी जब नाबालिग था तब वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गोपीलाल उर्फ गोपीकिशन पुत्र चन्द्राराम फौत हो गये थे जिनका फौतगी म्यूटेशन संख्या 539 दिनांक 1.2.1983 को पटवारी हल्का ग्वालू द्वारा फौतगी म्यूटेशन भर आर.आई. हल्का संखवास भेजा गया जहां पर दिनांक 2.2.1983 को सही होना स्वीकृत कर ग्राम पंचायत ग्वालू को भेजा गया जहां पर ग्राम पंचायत ग्वालू द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त वक्त वादी बहुत छोटा एवं नासमझ तथा लगभग 7–8 वर्ष का था एवं वादी को कभी कभार गाव, गवाडी वाले सोहनलाल के साथ साथ ओमप्रकाश नाम से भी बुलाते थे जबकि वादी का सही व सत्य रेकर्ड अनुसार नाम सोहनलाल था व है एवं स्कुल रेकर्ड परिचय पत्र, राशनकार्ड आदि सम्पूर्ण दस्तावेजो मे सोहनलाल नाम दर्ज है एवं साथ ही वादी सोहनलाल की वल्दियत गोपीकिशन रेकर्ड मे दर्ज है एवं वादी का उसकी खातेदारी की भूमि मे फौतगी म्यूटेशन मे ओमप्रकाश नाम पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप व बिना किसी जानकारी के आधार पर वादी का नाम सोहनलाल की जगह ओमप्रकाश नाम दर्ज कर दिया। व आर.आई. हल्का व ग्राम पंचायत ग्वालू द्वारा बिना किसी जानकारी के उक्त फोतगी म्यूटेशन को स्वीकृत कर दिया जिससे अब वादी का गलत रूप से रेकर्ड मे दर्ज किए गये नाम सोहनलाल के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज होने से खातेदारी की भूमि मे मिलने वाले कई प्रकार के लाभ से से वादी लम्बे समय से वंचित रह रहा है इस कारण यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह है कि वादी की ईस्तदुआ वादी विरूद्व प्रतिवादीगण निम्नानुसार सादिर फरमाई जावे कि–

राजस्व वाद संख्या 169/2014

सोहनलाल बनाम भंवरलाल

यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के सयुंक्त कब्जे काश्त व खातेदारी के पुश्तैनी खेताय खसरा नं. 62 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा, ख.न. 303 रकबा 3.17 बीघा, खसरा नं. 900 रकबा 7.08 बीघा, ख0नं0 1564/901 रकबा 1.03 बीघा व खसरा नं. 1565/124 रकबा 2.04 बीघा कुल रकबा 32.05 बीघा मे वादी का नाम गलत रूप से दर्ज वादी के पिता स्व. गोपीलाल उर्फ गोपीकिशन का फौतगी म्यूटेशन मे सोहनलाल की जगह ओमप्रकाश भरा गया उसे दुरस्त किया जाकर ओमप्रकाश की जगह सोहनलाल पुत्री गोपीलाल उर्फ गोपीकिशन दर्ज किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये । अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं न्याय आपके द्वार केम्प गवालू मे उपस्थित अप्रार्थी संख्या 2 से जवाब प्रार्थना पत्र लिया गया।

पत्रावली न्याय आपके द्वार केम्प गवालू मे पेश हुई मजमे आम मे पुछताछ की गई प्रार्थी सोहनलाल स्वयं उपस्थित सोहनलाल ने मजमे आम मे बताया कि वादग्रस्त खेताय की खातेदारी वादी के पिता स्व. गोपीलाल का फौतगी म्यूटेशन भरते समय वादी सोहनलाल की जगह ओमप्रकाश दर्ज कर दिया वादी ने वाद के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये।

तहसीलदार मूण्डवा की रिपोर्ट का अवलोकन किया तहसीलदार मूण्डवा ने अपनी रिपोर्ट मे भी यह अंकित किया की नामान्तरकरण संख्या 539 दर्ज करते समय वादी द्वारा बताये गये नाम का ही नानान्तरकरण दर्ज किया गया है। एवं न्यायालय हाजा के वाद संख्या 371/87 मे निर्णय दिनांक 30.1.90 के अनुसार भी वादी का नाम ओनप्रकाश था। जिसकी तामिल व शपथ पत्र के आधार पर निर्णय हुआ है। उक्त डिकी मे भी ओमप्रकाश के नाम डिकी सादिर की गई थी। जिससे वादी का वाद खारिज योग्य होने से खारिज फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। वाद संख्या 371/87 मे भी प्रतिवादी संख्या 3 ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल प्रतिवादी पक्षकार दर्ज है। उपरोक्त विवेचन से वादी का वाद बाबत रेकर्ड दुरूस्ती एवं धारा 136 आरटी एक्ट मे साबित नही होने से वादी का वाद खारिज किया जाता है। खारिज का डिकी पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

निर्णय आज दिनांक 15.5.17 को मजमे आम मे लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर